न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 223 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी समदड़ी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती भंवरकंवर पत्नी जसकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

2.जसकरण वल्द मोहनकरण जाति राजुपत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

3.रूघनाथकरण उर्फ रूघनाथसिंह पुत्र रूपकरण उर्फ रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रावली नाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

4.राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर।

5.बागसिंह पुत्र जालमकरण जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

6.शेरसिंह पुत्र जालमकरण जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

7.जसवन्तसिंह पुत्र जालमकरण जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

8.हुकमसिंह पुत्र जालमकरण जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

9.मृतक बलवन्तसिंह के कायम मुकाम

9/1लक्ष्मणसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना

9/2सुजानसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

9/3प्रकाशकंवर बेवा. बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

10.विशनसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

11.महेन्द्रसिंह पुत्र परबतसिंह जाति रापजूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

12.गंगासिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

13.आम्बसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

14.अमरसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तरगटी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

15.दलपतसिंह पुत्र सुरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

16.दौलतकरण पुत्र नरपतकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

17.बनेकरण पुत्र नरपतकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

18.लालसिंह पुत्र सुरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

19.मृतक राजुसिंह पुत्र सुरसिंह कायम मु.

19/1अजबकरण पुत्र राजुसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

19/2श्रीमतीकेसरकंवर बेवा राजुसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा

20.लालसिंह पुत्र भुरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

21.मृतक उम्मेदसिंह पुत्र विरदसिंह का.मु.

21/1हरिकरण पुत्र उम्मेदकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

21/2कानकरण पुत्र उम्मेदकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

22.कानकरणसिंह पुत्र उम्मेदकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

23.नरपतकरण पुत्र मोहनकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

24.बुद्धकरणसिंह पुत्र मोहनकरण जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर पचपदरा जिला बाड़मेर।

25.सुगनकंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील पचपदरा. जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2010 बअनवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

श्रीमती भंवरकंवर बनाम मोहनीदेवी वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 03.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 से 25 के विरूद्ध इस आशय का वाद प्रस्तुत पेश किया कि मौजा समदडी के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 135 बीघा, खसरा संख्या 243/2 रकबा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 243/1 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 135.16 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 03 रूगनाथकरण एवं उनके बडे भाई उम्मेदसिंह का 1/16,1/16 हिस्सा था तथा स्वर्गीय उम्मेदसिंह ने दिनांक 08.03.1969 को अपने 1/16 हिस्से की भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 02 को किया तथा उतरदाता संख्या 03 ने 1/8 हिस्से की 16.10 बीघा भूमि का बेचान अपीलार्थी को दिनांक 18.05.2004 को कर बेचान पंजीकृत करवा दिया। अपीलार्थी ने वादोतर प्रस्तुत कर अपने पक्ष में उतरदाता संख्या 03 द्वारा 1/16 के बजाय 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान किये जाने से 1/16 हिस्से की अधिक बेचान की भूमि पुनः उतरदाता संख्या 01 वादीनी को मूल 1/8 हिस्से की भूमि के बेचान की आधी कीमत वसूल कर किया जाना स्वीकार कर 1/16 हिस्सा भूमि अपनी खातेदारी की होना अभिकथित किया तथा 1/16 हिस्से की भूमि अपने कब्जे काश्त की होना अभिकथित किया तथा वादीनी का वाद खारिज करने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली से परे जाकर निर्णय प्रमाणित किया जाना प्रकट होता है इस तरह से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रितिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली से परे जाकर निर्णय प्रमाणित किया जाना प्रकट होता है इस तरह से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रितिकूल है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.07. 2004 को किये बेचान के आधार पर वादीनी उतरदाता संख्या 01 वादग्रस्त भूमि का 1/16 हिस्सा अपने नाम सामान्य रूप से नामान्तरित करने की हकदार थी इसलिए विवाधक संख्या 01 को उसके पक्ष में प्रमाणित कर वाद डिक्री करने का औचित्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विधिक प्रस्थापनाओं के प्रतिकूल है जो अपास्त किये जाने योगय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि प्रतिवादीनी संख्या 1 को रूघनाथसिंह ने बेचान किया तो पटवारी की गलती स्वरूप 1/16 की बजाय 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया। इस स्थिति की जानकारी होने पर प्रतिवादीनी संख्या 01 मोहिनीदेवी ने वादिनी को 12.07.2004 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया प्रतिवादिनी संख्या 01 ने रजिस्टर्ड बेचानामे में स्वयं ऐसा तथ्य स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली पर उपलबध रिकॉर्ड/राजस्व अभिलेख आदि के अवलोकन एवं परीक्षणोपरांत यह पाया गया है कि खतौनी गांव समदड़ी संवत 2009(EXP-2 व EXP-3) से साबित है कि वादग्रस्त भूमि में तेजकरण वल्द चमकरण 1/8 रूपसिंह वल्द गैनसिंह 1/8, जेठकरण वल्द जीमकरण 1/8, गजेकरण वल्द पृथ्वीकरण 1/8; जालमकरण परवतकरण चेलकरण पिता किशोरकरण 1/4 रावतकरण वल्द मुल्तानकरण 1/8 विरदकरण वल्द हुक्मरण 1/16, मोहनकरण वल्द डूंगरकरण 1/32 गुमानकरण बल्द रणजीकरण 1/32 को खातेदारी अंकन है जो जमाबंदी संवत 2034 से 2041 (EXP-4) अनुसार तेजकरण पुत्र चुतरकरण हिस्सा 1/4, उम्मेदसिंह, रूगनाथसिंह पिता रूपसिंह हिस्सा 1/8 खातेदारी में अंकित है जिसमें नामांतकरण संख्या 519/02.01.1983 से तेजकरण, उम्मेदसिंह भंवरसिंह के स्थान पर जसकरण पुत्र मोहनकरण अमल दरामद हुआ। जिससे जसकरण पुत्र मोहनकरण का 7/16 हिस्सा, तथा रूघनाथसिंह का 1/16 हिस्सा कुल 1/2 हिस्सा तदनुसार रहा जो जमाबंदी संवत 2043 से 2046 में अंकन "आना" के रूप मे किया हुआ है जो जसकरण पुत्र मोहनकरण 07(सात) आना व रूघनाथकरण पुत्र रूपकरण 01 (एक) आना कुल मिलाकरण 8 आना अंकित 1/2 हिस्सा। राजस्व रिकॉर्ड चतुवर्षीय जमाबंदी का क्रमानुसार अवलोकन किया जिसमें कोई परिवर्तन संबंधी आदेश या नामांतकरण तहरीर नहीं पाया है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में वक्त विक्रय विलेख (एडमिटेड) निष्पादन द्वारा रूघनाथकरण बहक मोहिनीदेवी क्रेता के पास 1/16 हिस्सा (एक आना) था, जो उसने 1/8 हिस्सा कथन करते हुए अंकन करवाकर विक्रय किया जो सही नहीं है। तत्पश्चात मोहिनीदेवी ने इस स्थिति को भलीभांति समझने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पश्चात संस्वीकृति सहित जरिये विक्रय विलेख (EXP-7A) इस खाते में निहित अपना 1/16 हिस्सा (रकबा 08.48 बीघा) भंवरकंवर के पक्ष में यह कथन करते हुए बेचान कर दिया कि– "उपरोक्त खातेदारी में मेरा संपूर्ण हिस्सा आपको बेचान कर दिया है अब मेरा संपूर्ण हिस्सा आपको बेचान कर दिया है अब मेरा कोई हक अधिकार हिस्सा शेष नहीं है।" इस प्रकार अपीलांट मोहिनीदेवी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2010 बअनवान श्रीमती भंवरकंवर बनाम मोहनीदेवी वगैरा में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2012 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner